

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक: 1177/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/पोर्टल,

दिनांक : 15 अप्रैल 2023

विषय: स्थानान्तरण सत्र 2023 में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु समूह "ग" के कार्मिकों की अपलोड सूची के सम्बन्ध में आपत्ति हेतु अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।


समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त विषयक सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत समूह "ग" में कार्यरत कार्मिकों की सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की सूचियों वरिष्ठताक्रम में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गयी है।

अतः विभागीय वेबसाईट पर अपलोड सूची के आधार पर अपना प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार तय समय सीमा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. अपलोड की गयी सूची पर आपत्ति करने हेतु आवेदन पत्र एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायें।
2. अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्रस्तर-23 (6) के अनुसार अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्प दिये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 15.05.2023।
3. स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की प्रस्तर 3 (घ, ङ, च0, छ)/प्रस्तर-13(3), 13 (4, 5, 6) के लाभ हेतु विकल्प पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र/साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होंगे।

सम्बन्धित कार्मिक क अपना प्रत्यावेदन/अनुरोध पत्र उचित साक्ष्यों सहित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(कपिल कुमार) 15/4/2023

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता